

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

रामचन्द्र पिता तेज मल खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

- 1- धापू पत्नी मांगू खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- छगन लाल पिता मांगू खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- केलाशचन्द्र पिता मांगू खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- विमला पुत्री मांगू खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र काश्तकार घोषित कराने कृषि आराजियात इन्द्रा दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा - 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 30 सन् 2018 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिव
मुदई वX मिनजानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अबेट होने से खारिज किया जाता है।

निज मुबलिंग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से
तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 12 माह 04 सन् 2023 को जारी की गई।



(पुनीत कुमार गेलड़ा)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)